लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– **ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 इमामी सीमेंट लिमिटेड द्वारा ग्राम कुकुरदी एवं रिसदा, तहसील बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् लाईम स्टोन माईन क्षमता 3.17 मिलियन टन/वर्ष से 5.50 मिलियन टन/वर्ष (आर.ओ.एम.) (माईनिंग लीज एरिया–395.05 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 01.04.2017 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।**

मे0 इमामी सीमेंट लिमिटेड द्वारा ग्राम कुकुरदी एवं रिसदा, तहसील बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् लाईम स्टोन माईन क्षमता 3.17 मिलियन टन/वर्ष से 5.50 मिलियन टन/वर्ष (आर.ओ.एम.) (माईनिंग लीज एरिया–395.05 हेक्टेयर) हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने के लिये लोक सुनवाई कराने बावत् छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया। दैनिक भास्कर तथा हिन्दुस्तान टाईम्स (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर **दिनांक 01.04.2017 दिन शनिवार को प्रातः 11:00 बजे से नवनिर्मित शासकीय बालक पूर्व माध्यमिक शाला खेल मैदान, ग्राम रिसदा, तहसील बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)** में सुनवाई नियत की गई, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रेषित की गई। उक्त दोनों समाचार पत्रों में प्रस्तावित लोक सुनवाई स्थल के संबंध में संशोधित लोक–सुनवाई सूचना का प्रकाशन दिनांक 09 मार्च, 2017 को कराया गया था, जिसकी सूचना भी संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रेषित की गई थी।

उद्योग की प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् दिनांक 01.04.2017 को अपर कलेक्टर बलौदाबाजार श्रीमती लीना कमलेश मंडावी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान डॉ0 एस.के. उपाध्याय क्षेत्रीय अधिकारी, श्री तीरथ राज अग्रवाल एस.डी.एम., श्री डी.बी. द्विवेदी डी.एस.पी., उद्योग प्रतिनिधि श्री दिलीप कुमार शर्मा, श्री आर.पी. गोयल तथा मान्नीय विधायक श्री जनक लाल वर्मा, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के मान्नीय सदस्य, ग्राम पंचायतों के मान्नीय सरपंच, आस–पास के गांवों के किसान आदि लगभग दो सौ जनसामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई दोपहर 11:55 बजे प्रारंभ की गई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गयें है, उनकी सूची संलग्नक–2 अनुसार है।

3. क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 एस.के. उपाध्याय ने प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये अपर कलेक्टर महोदय से जन सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया।

4. अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की तथा परियोजना प्रस्तावक को परियोजना के संबंध में विवरण देने हेतु निर्देशित किया।

5. **उद्योग प्रतिनिधि** श्री आर.पी. गोयल ने प्रस्तुतीकरण दिया। श्री गोयल ने बताया कि ईमामी सीमेंट लिमिटेड द्वारा ग्राम रिसदा, तहसील, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, छत्तीसगढ़ में स्थापित किए गए सीमेंट प्लांट की चूना पत्थर की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्राम रिसदा, कुकुरदी, तहसील बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, छत्तीसगढ़ में वर्तमान 3.17 मिलियन टन से 5.50 मिलियन टन

(आर ओ एम्) उत्पादन क्षमता वृद्धि की चूना पत्थर खदान परियोजना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की क्षमता वृद्धि का माईनिंग प्लान का अनुमोदन इंडियन ब्यूरो ऑफ माईंस द्वारा दिनांक 05.08.2016 को किया गया। ईमामी सीमेंट लिमिटेड द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली में 13 अप्रैल 2015 को टर्म ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) के लिए आवेदन दिया गया था। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा टर्म ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) पत्र दिनांक 09.06.2015 को जारी किया गया है। ईमामी सीमेंट लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण, रायपुर में जनसुनवाई हेतु दस्तावेज दिनांक 03.09.2016 को जमा किए गये। ईमामी सीमेंट लिमिटेड द्वारा पर्यावरण अध्ययन के लिए आधारभूत आकडे मानसून पश्चात अक्टूबर से दिसम्बर माह 2015 में मध्य एकत्र किए गए हैं। प्रस्तावित परियोजना का क्षेत्र 395.05 हेक्टेयर ग्राम रिसदा–कुकुरदी, में स्थित निजी भूमि व शासकीय भूमि है। प्रस्तावित खनन क्षेत्र की सीमा में दस किलोमीटर के दायरे में कोई राष्ट्रीय उघान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि नही आते हैं, ढाबाडीह आरक्षित वन 500 मीटर दूर स्थित है, सोनवर्षा व लटवा आरक्षित वन लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वन विभाग से परियोजना को अनापत्ति प्राप्त है। निकटतम जल स्त्रोतो में कुकुरदी बांध 100 मीटर की दूरी पर है। परियोजना क्षेत्र जोन–II भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परियोजना के लिए जल की वर्तमान आवश्यकता 170 किलोलीटर प्रतिदिन की है जो क्षमता विस्तार के बाद 240 किलोलीटर प्रतिदिन हो जायगी, जिसका स्त्रोत भूमिगत जल तथा माइन एरिया में प्रस्तावित रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट होगी। क्षमता विस्तार परियोजना की कुल लागत 45 करोड़ रूपये है। परियोजना में पर्यावरण संरक्षण के लिए 3 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। परियोजना में खनिकर्म मेकेनाईज्ड पद्धति से किया जाएगा। खनिज पट्टा क्षेत्र में चिरस्थायी धाराए नही हैं। खनन पट्टा क्षेत्र में 239.09 मिलियन टन चूना पत्थर के भण्डार है। क्षेत्र की वायु गुणवक्ता परमीसीबल मानकों के अन्दर है। क्षेत्र में ध्वनि का स्तर परमीसीबल मानको के अन्दर है। अध्ययन क्षेत्र में जल का पी एच 7.73 से 7.90 है, जल की कठोरता 85.06 से 220.48 किमी ग्राम प्रति लीटर एवं घुलित ठोस 145 से 324 किमी ग्राम प्रति लीटर है जो परमीसीबल मानकों के अन्दर है। मृदा का पी.एच. 7.10 से 7.98 के मध्य है, कार्बनिक पदार्थ–0.75ः से 0.98ः हैं, नाइट्रोजन–170.23 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 284.56 प्रति हेक्टेयर है, फॉस्फोरस–17.28 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 23.44 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, पोटेशियम–293.18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 492.00 प्रति हेक्टेयर है। ईमामी सीमेंट लिमिटेड वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ड्रिलिंग के दौरान शार्प ड्रिल बिट का इस्तेमाल करेगी, ब्लास्टिंग कार्य के लिए नवीनतम नॉन इलेक्ट्रिक इग्निंशन प्रणाली तथा मिली सेकंड डिले डेटोनेटर का प्रयोग वैज्ञानिक तरीके से कर रही है। हॉल रोड पर जल छिडकाव किया जा रहा है, खनन क्षेत्र के चारों तरफ पौधारोपण व हरित पट्टिका का विकास किया जा रहा है। कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण जैसे डस्ट मास्क, इअर मफ्स, गॉगल, सुरक्षा जुते, हाथ के दस्ताने, सुरक्षा हेलमेट, रिफ्लेक्टिव जैकेट इत्यादि उपलब्ध कराये गए हैं। डंपिंग क्षेत्र में बारिश के पानी को मोड़ने के लिए ढलान के सहारे डंप के तल में सिल्टेशन पिट वाली गारलेंड ड्रेन बनाई गई है। खनन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का अपशिष्ट उत्पन्न नही होगा, कार्यालय से उत्पन्न होने वाले घरेलू अपशिष्ट जल को सोक पिट में सेप्टिक टैंक द्वारा निष्काषित किया जा रहा है तथा हरित पट्टिका में उपयोग किया जा रहा है। खनन संकल्पना में खनिकर्म के द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट को पुनर्भरण कर वृक्षारोपण किया जाएगा। पट्टा क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए, उत्सर्जित धूल को कम करने के लिए और ध्वनि के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए हरित पट्टिका विकास/पौधारोपण किया जाएगा। ईमामी सीमेंट लिमिटेड द्वारा मार्च 2017 तक 11.16 हेक्टेयर क्षेत्र में 20,907 पौधों को रोपा गया है, जिनकी जीवन दर 80.09 प्रतिशत है। कानयसेपचुअल स्तर पर कुल 395.05 हेक्टेयर में से कुल एक्सवेटेड क्षेत्र 283.46 हेक्टेयर होगा, इस एक्सवेटेड क्षेत्र में पुनर्भरण कार्य एवं जलाशल प्रस्तावित है। कर्मचारियो,

समीपवर्ती रहवासियों, ग्राहकों और उपभोक्ताओं को पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा कंपनी की मुख्य प्राथमिकता है। कंपनी के सभी व्यापार और गतिविधियों में पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा को शामिल किया जाता है। कंपनी पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में सभी नियम व कानूनी प्रावधानो का पालन करेगी। प्रत्येक कर्मचारी पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के दिशा निर्देशों और उसके क्षेत्र के लिए लागू नियमों का जिम्मेदारी को पालन करेंगें। ईमामी सीमेंट लिमिटेड द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं मॉनिटरिंग कार्य हेतु स्टेट ऑफ आर्ट प्रयोगशाला निर्मित की गई है जो अत्याधुनिक उपकरणें से सुसज्जित है। ईमामी सीमेंट लिमिटेड कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले कारखाना अधिनियम–1948 के दिशा निर्देशों के अनुसार चिकित्सा जॉच करवाएगी। ईमामी सीमेंट लिमिटेड न ई एस सी के तहत कुल 45.76 करोड रूपये का प्रस्ताव है यह कंपनी के द्वारा स्वास्थय, शिक्षा, कौशल विकास, जल, बुनियादि ढांचे के विकास के मद में खर्च किए जायेंगे। भारत सरकार के माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एवं रेगुलेशन (अमेंडमेंट) एक्ट–2015 के तहत खनन रॉयल्टी के 30 प्रतिशत (12 करोड रूपये) के बराबर राशि का अंश दान ''डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड'' में किया जात है. इस राशि का उपयोग स्थानीय विकास में किया जाता है। प्रस्तावित परियोजना से इस मद में किए जाने वाले अंश दान से स्थानीय विकास में अतिरिक्त सहायता मिलेगी।

6. अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने जनसामान्य से इस परियोजना से संबंधित अपना विचार रखने, तथा इस संबंध में राय तथा जनसामान्य के लिखित एवं मौखिक सुझाव एवं आपत्ति आंमत्रित की तथा आश्वस्त किया कि जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी हो रही है।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1 श्री नंदकुमार साहू, बलौदाबाजार–भाटापारा ने कहा कि जिला प्रशासन के माध्यम से ईमामी प्रबंधन से मेरा प्रश्न है कि, स्लाइड के माध्यम से जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जो मापन किया गया है, यदि वह किसी अधिकृत एजेंसी या गवर्नमेंट द्वारा एप्रूव्ड है, तो मै संतुष्ट हूँ। जल स्तर के बारे में बताया गया है कि, पूर्व मानसून स्तर 51 फीट है, बलौदाबाजार एस. डी.एम. साहब के घर के सामने नगर पालिका का बोर है, कलेक्टर साहब के घर में भी बोर होगा, उस पर पूर्व मानसून क्या इफेक्ट हुआ इसकी सत्यता यहीं पर सिद्ध हो सकती है। बलौदाबाजार क्षेत्र के 6 प्लांट से ब्लाटिंग का इफेक्ट आप सबकी जानकारी में है, आज तक कोई मकान गिरा नहीं है, पर एक दिन हम इनका शिकार बनने वाले हैं। सी.एस.आर. के माध्यम से आप खर्च करते हैं, क्या आपने बलौदाबाजार शहर में 1 इंच बोर किया है ? आपने ढनढ़नी, खैरवारडीह, रिसदा, कुकुरदी में कर दिया, आउट पुट क्या है, क्या लाभ जनता को मिल रहा है, कितना प्लान्टेशन किया है, कितना समुदायिक भवन बनाया, प्रधानमंत्री की योजनाओं का क्रियान्वयन किया, बलौदाबाजार भी आपका है। मेरे कहने का मतलब है कि इतना दोहन हो रहा है, इतनी आय आप लोग अर्जित कर रहें हैं, एसडीएम साहब आपके निर्देश से क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो सकता है, सहभागिता की आवश्यकता है। सहभागित के माध्यम से विकास हो सकता है, आप लोग मेजरमेंट करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण इतना होता है, पर रोकने का क्या तरीका है यह तो सार्वजानिक कीजिए। जनसुनवाई के माध्यम से पहले लोग इकठ्ठे होते थे, अब लोग भी आना नहीं चाहते, उनकी बात कोई सुनता भी नही है। ब्लास्टिंग, हैवी ब्लास्टिंग, नियम विरूद्ध ब्लास्टिंग की जाती है, मेरा दावा है कि ये लोग अवैध ब्लास्टिंग करते हैं, इनके परचेस रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं। अवैध ब्लास्टिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए। बलौदाबाजार में जलस्तर गिर रहा है, क्षेत्र में जल संकट है। आपके पास बड़ी राशि है, माइंस की डेप्थ 80 मीटर बताई गई है,

मैं तो मानता नहीं कि, आप इतनी गहराई पर खनन कर सकते हैं, जबकि क्षेत्र वही है, इस पर ध्यान दिया जाए। आप इतनी जल्दी–जल्दी विस्तार कैसे कर रहे हैं, यह भी प्रश्न वाचक हैं ? नवयुवकों के रोजगार पर आप क्या कर रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार करें।

2 श्री प्रभाकर मिश्रा, ग्राम पौंसरी ने कहा कि, जो जनसुनवाई में बोलते है, आपत्ति करते हैं उसकी जानकारी ऊपर नहीं पहुंचती है। ईमामी सीमेंट का कच्चा माल रोड से आता है उससे कंकड़ राहगीरों के ऑख में लगता है। प्लांट में कोयला और क्लिंकर खुले में रखा है, शेड में नही रखते हैं, जो शेड होता भी है तो नाममात्र दिखावे के लिए होता है। कोयला और क्लिंकर खुले में रखा है, इसकी फोटो मेरे पास है। सारी कंपनियों का काम सिर्फ पब्लिक के दिखावे के लिए अलग होता है और पेपर में अलग होता है। विरोध करना चाहते हैं, तो सबको हाईकोर्ट में जाना चाहिए। कुकुरदी जलाशय सूखा जाएगा, जंगल से जानवर भाग रहे हैं, मर रहे हैं, पानी नहीं है। इस क्षमता विस्तार को रोका जाए। कंपनी ने जमीन के लिए 15 लाख दिया, पर इससे गॉव में फूट पैदा हो गई।

3 श्री जनक राम वर्मा, मान्नीय विधायक बलौदाबाजार ने कहा कि मेरी चार–पांच आपत्तियां हैं। पहली यह है कि, खदान के ऊपर बड़ा कुकुरदी टैंक है, इससे रिसदा, खपरी, दशरमा क्षेत्र की लगभग 1200 एकड़ कृषि भूमि में सिंचाई की जाती है, यह प्रभावित होगा। पिछले तीन साल से इस क्षेत्र में अकाल पड़ रहा है, किसान अकाल की चपेट में हैं, पानी की समस्या बढ़ेगी, पानी के टैंकर से आप कितनी व्यवस्था कर सकते हैं ? आपकी गाड़ियां रोड से निकलती हैं, जिससे आसपास के घरों में रहने वाले प्रभावित हो रहे हैं, खदान का विस्तार होने से, इसकी गहराई बढ़ने से कुकुरदी का जल स्तर प्रभावित होगा। टैंकर के माध्यम से जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिये। प्रभावित क्षेत्र के कम शिक्षित लोगों को पैकिंग प्लांट में रोजगार मिलना चाहिये, कंपनी में गार्डन है, गार्डनिंग में काम दिया जाना चाहिये। खदान का विस्तार होने के बाद ब्लास्टिंग से जंगल के जानवर प्रभावित होंगे, यह सोचनीय विषय है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड की राशि से हॉस्पिटल निर्माण कराया जावे। कंपनी क्षेत्र के बेरोजगारों व जिनकी जमीन आपने ली है, उनको योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जाना चाहिये। कंपनी में बाहरी ठेकेदार काम कर हैं।

4 श्री राकेश वैष्णव, ग्राम रिसदा ने कहा कि, विज्ञान तथा विकास का बढ़ता हुआ कदम मनुष्यों के उपर कहर ढा रहा है। बढ़ते उद्योगों से पर्यावरण को चुनौती मिल रही है। मानव जीवन, पशु–पक्षियों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सरकार को पर्यावरण की दिशा में काम करना चाहिए, पर विडंबना है कि, यह काम अब जनता को करना पड़ रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिये कठोर नियम बनना चाहिये। ले–देकर काम निपटा दिया जाता है, जिसका दुष्परिणाम भी होता है। हम देख रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से ईमामी प्रबंधन अपने को जनता से अलग कर रही है, जनता को अपने बीच में लाना उचित नही समझ रही। जब हमने जमीन दी थी, तब सोचे थे कि हमारा भी हित होगा। जब प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, तब हमें पूछा जा रहा था, जिनकी जमीन ली गई है, उन्हे यथा संभव रोजगार देने की बात हो रही थी। विगत कुछ दिनों से इसकी अवहेलना की जा रही है। बाहरी लोगों को काम पर रखा जा रहा है। बाहर से मजदूर लाए जा रहे हैं, जबकि मजदूर व विभिन्न विभागों में काम करने के लिए लोग यहीं मिलेंगें। प्रबंधन से आग्रह है कि, स्थानीय लोगों को समुचित महत्व दें, रोजगार दें। माईन्स का पानी नहर के माध्यम से तालाबों में छोड़ा जाना चाहिये, ताकि भीषण गर्मी में पानी की सुनिश्चितता हो।

5 श्री सुरेन्द्र शर्मा, बलौदाबाजार ने कहा कि खदान के विस्तारीकरण से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिये यह जनसुनवाई रखी गई है, यह जनमनवाई नहीं है। आज मूर्ख दिवस भी है। अगर जंगल उजड़ेगा, तालाब नष्ट होंगें, तो उसका विपरीत प्रभाव सभी पर

पड़ेगा, सीमेंट प्रबंधन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर सह–असतित्व की बात पर ध्यान नहीं देंगे, तो सभी का नुकसान है। कंपनी के सहयोग से बलौदाबाजार क्षेत्र के लिये सुपर स्पेशियलिटि हॉस्पीटल खोला जावे। जिनकी जमीन निकली है, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। लैंड लूजर्स को केवल कृषि व्यवसाय करना आता था, उनके लिये रोजगार मूलक वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। संयंत्र के हितों की रक्षा के लिये प्रशासनिक अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे हैं, उनको आम आदमी के हितों का भी ध्यान रखना चाहिये।

6 श्रीमती लक्ष्मी बघेल, पूर्व विधायिका बलौदाबाजार ने कहा कि स्थानीय क्षेत्र के भूमिहीन किसानों को कंपनी द्वारा रोजगार दिया जाना चाहिये। स्थानीय क्षेत्र के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जावे। हमारे पूर्व वक्ताओं ने हॉस्पिटल बनाने के लिए बात की है, तो बताना चाहूंगी कि सभी कंपनियों के सहयोग से हॉस्पिटल बनाने का एस्टीमेट बन गया है। कलेक्टर साहब आदेश किये हैं कि सी.एस.आर. के मद से यह हॉस्पिटल बनना चाहिए।

7 श्री परमेश्वर यदु, बलौदाबाजार ने कहा कि हम सब इमामी सीमेंट माइन की क्षमता विस्तार के लिए जन सुनवाई में इक्कठे हुए हैं, मैंनेजमेंट के लोग रोजगार व डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करते यह बात छन कर सामने आई है, हम चाहते हैं कि उद्योग लगना चाहिए, औद्योगिकीकरण होना चाहिए, इससे विकास के रास्ते खुलते हैं, उद्योग के आसपास अमन चैन हो यह मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, मिल बैठ कर बातचीत करें जिससे जो अवसर है उनका लाभ स्थानीय जनता को मिले। हम माईंस विस्तार के लिये सहमत हैं, लेकिन क्षेत्र का विकास होना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड में क्षेत्र के विकास के लिये पर्याप्त राशि है।

8 श्री संदीप पांडे, बलौदाबाजार ने कहा कि न कोई बात रिकॉर्ड होने वाली है, और न ही कोई कार्यवाही होने वाली है, लोकसुनवाई अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। यहां पर्यावरण प्रदूषण के साथ–साथ और भी प्रदूषण कारित हो रहे हैं। प्रशासन जनता के साथ नहीं, कंपनी के साथ है। कानून का कियान्वयन नहीं होता है। यह पूरी प्रकिया अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। प्रबंधन का रवैया बदला हुआ है। कागजों में बताया जाता है कि, जैसे रिसदा में स्वर्ग उतर आया है। आप कच्ची सड़क से होकर, लोक सुनवाई स्थल तक आये हैं, यही इनका विकास है। बलौदाबाजार जिला बनने से उम्मीदें जागी थी, पर निराशा हुई है, आप पर्यावरण के मुद्दे को लेकर ग्रीन ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते, क्योंकि इसका कार्यालय भोपाल में है। मेरी आपत्ति में दर्ज करा रहा हूं, कानून पर भरोसा है। जनसुनवाई अप्रैल फूल बन गई है।

9 श्री धीरज वाजपेयी, बलौदाबाजार ने कहा कि मेरी आपत्ति पूरे प्लांट पर है। इसको लगना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है। जब प्लांट लगता है तो स्थानीय जनता अपनी जमीन देती है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। आम जनता के दृष्टिकोण से जनसुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है, प्लांट लगने से विकास होता है, किंतु मानव जीवन को नुकसान नहीं होना चाहिये। जनमानस में लोक सुनवाई को लेकर नकारात्मक भाव है, क्योंकि इसमें जनता की सुनवाई नहीं है। पर्यावरण विभाग को देखना है कि पर्यावरण का नुकसान न हो, प्रबंधन से निवेदन है कि लैंड लूजर्स को, प्रभावितों को, गांव के लोगों को, विशेष कर नवयुवकों को साथ लेकर चलें, उनको रोजगार दें।

10 श्री रामाधार साहू, स्थानीय कृषक ने कहा कि हम लोग खेती करते हैं, इसे बचाना जरूरी है, पानी लाना जरूरी है। हम दो–तीन साल से देख रहे हैं कि कुकुरदी टैंक में पानी नहीं भर रहा है, इससे रिसदा, खपरी, दसरमा के लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, अभी कंपनी

की खदान में 15 फीट गड्डा है, जब यह 60 फीट होगा, तो कुकुरदी टैंक में पानी नहीं बचेगा, हमारी खेती समूल नष्ट हो जाएगी। प्लांट व प्रशासन रिसदा नहर को बीबीसी नहर से जोड़े जिससे हमें पानी मिल सके।

11 श्री दानेश्वर वर्मा, लेबर यूनियन अध्यक्ष ईमामी सीमेंट ने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित दरों से श्रमिकों को भुगतान किया जाना चाहिये। शासन द्वारा निर्धारित दर से भुगतान नहीं किया जा रहा है। ठेकेदार 250 रूपये के स्थान पर 180 रूपये का भुगतान कर रहा है। कंपनी प्रबंधक से निवेदन है कि लेबर को गवर्नमेंट रेट मिलना चाहिए, ठेकेदार लेबर को कम रेट दे रहे हैं, लेबर को सीधा पेमेंट मिले।

12 श्री राजेश्वर कुमार गिरी, छात्र ग्राम रिसदा ने कहा कि मैं ग्राम रिसदा की वास्तविक समस्या से आप सबको अवगत करवाना चाहता हूं, हमारे गांव में 15 से 20 बोर है। गांव में 20 वार्ड हैं, इनमें पाइप से पानी सप्लाई किया जाए। ग्रामीणों व कंपनी के बीच समझौते पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हॅू। सुविधा के नाम पर ढकोसला है, कंपनी ने कहा था कि प्ले ग्राउंड बनायेंगे, गार्डन बनायेंगे, गांव के बच्चे प्ले ग्राउंड में नहीं खेलते, बच्चे टिन्नी (शराब का ढक्कन) से खेलते हैं, ताश खेलते हैं, गड्डी चलाते हैं। खेल मैदान नहीं है, ईमामी प्रबंधन इस दिशा में सोचे, कंपनी में आने वाले बाहरी लोगों के लिये शौचालय नहीं है, गांव में सार्वजनिक शौचालय बनाया जावे। शासकीय स्कूल के लिये भवन नहीं है। नहर से पानी की मांग को लेकर कलेक्टर के पास गये थे। बांध में पानी नहीं है, तालाब सूख चूके हैं। कंपनी की खदान से पानी की समस्या बढ़ेगी। सेमरा जलाशय को कुकरदी तालाब से जोड़ा जाना चाहिये। ब्लॉस्टिंग से भवन व जंगल के जानवर प्रभावित हो रहे हैं। कंपनी बॉयो–गैस प्लान्ट का निर्माण कराये, जिसका उपयोग ग्रामीण कर सकें।

13 श्री पाकदास मानिकपुरी, सरपंच ग्राम ढनढनी ने कहा कि जन सुनवाई में लोग यहां आये हैं, पर्यावरण के बारे मे ग्रामीण जानते नहीं है, उन्होने जमीन दी है, उनको रोजगार दिया जावे। सीएसआर के अंतर्गत गांव में काम किया जावे, ठेकेदार देर से पेमेंट दे रहे हैं, पेमेंट तुरंत होना चाहिए। जन सुनवाई के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रबंधन ने कहा है कि जैसे–जैसे काम आएगा, काम देते जायेंगे इस बारे में लिस्ट तैयार की जा रही है। लैंड लूजर्स को रोजगार मिलना चाहिये।

14 श्री नीरज वाजपेयी, पत्रकार बलौदाबाजार ने कहा कि संयंत्र परिसर में कोयला खुले स्थान में रखा हुआ है, नियमतः कोयला पक्की भूमि के शेड में भंडार किया जाता है, उड़ने वाली राख को दबाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है। क्लिंकर को बाहर रखा गया है। संयंत्र की लाइम स्टोन उत्पादन विस्तार के लिए जन सुनवाई हो रही है। संयंत्र को 6000 टन क्लिंकर निर्माण का अधिकार था, जबकि 9000 टन क्लिंकर का निर्माण किया जा रहा है, मेरे आरोपों को पुष्टि इलेक्ट्रिसिटी खपत व स्टॉक रजिस्टर से की जा सकती है। मैं जानना चाहूंगा कि 3.17 मिलियन टन से लाइम स्टोन उत्पादन बढ़कर 5.50 मिलियन टन किया जाना है, यदि कंसेट टू ऑपरेट की अनुमति मिल जाती है तो क्या वर्तमान मशीनों का नवीनीकरण किया जाएगा या पुरानी मशीनें कार्यरत रहेंगी। जांच के दौरान यदि क्लिंकर उत्पादन 6000 टन से अधिक पाए जाने पर शासन को राजस्व की क्षति होती है, तो क्या आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा ? मेरी आपत्ति भू जल दोहन को लेकर भी है, संयंत्र के अधिकांश कार्य भूजल स्रोत पर ही आधारित हैं। बेतहाशा भूजल दोहन से आसपास के ग्रामों सहित संयंत्र की बाउंड्री से मात्र 100 मीटर दूर जल स्त्रोत सूख रहा है। कुकुरदी बांध दिसंबर, जनवरी में सूख जाता है, खैरवारडीह जंगल में जानवर त्राही–त्राही कर रहे हैं। मेरे आरोपों की जांच की जाए और जब तक जांच स्पष्ट न हो लाईमस्टोन माईन की अनुमति प्रदान न की जावे।

15 श्री पीलाराम यादव, ग्राम कुकुरदी ने कहा कि कंपनी ने पिछली जनसुनवाई में कहा था कि ये करेंगे, वो करेंगे, पर कुछ भी नहीं किया गया। कहा गया था कि एक लिस्ट बनाते हैं, पर लिस्ट बनी नहीं। कंपनी वाले कुछ नहीं करेंगे। नौकरी का आवेदन रख दिया गया है। उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लेकिन नौकरी देने के लिये समय नहीं है। गांव के ईश्वर ध्रुव की जमीन बिकी नहीं है, लेकिन उसकी जमीन का मेड़ तोड़ दिया गया है, मुआवजा नहीं मिला है। प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जावे। गांववासी प्रबंधन के लोगों को गांव से भगा देते हैं।

16 श्री परेश वैष्णव, उपसरपंच ग्राम रिसदा ने कहा कि, 58 लोगों की सूची रोजगार के लिये रिसदा से दी गई है, उनको रोजगार दिया जाना चाहिये। एक समान वेतन मिलना चाहिए। पानी का भी मुद्दा है। आप हमारा ध्यान रखिये, हम सभी का सहयोग रहेगा। ईमामी व गांव एक परिवार है, मैं पब्लिक हियरिंग को अपनी तरफ से सहमति देता हूं, गांव में रोजगार व सुख–सुविधाएं बढ़े। एस.डी.एम. महोदय से निवेदन है कि 17 एकड़ जमीन जो इंदिरा आवास की है, जो कम्पनी से अदला–बदली हुई है, इसे गांव के उपयोग हेतु प्रदान करें, जिसे गांव के विकास में लिया जा सके।

17 श्री हरीदयाल साहू, ग्राम रिसदा ने कहा कि, कंपनी ने शुरूवात में पैर रखने हेतु जमीन कम कीमत में ली, बाद में ली गई जमीनों को ज्यादा कीमत दी गई। पहले जिसने जमीन बेची है, उसे जमीन का कम रेट मिला है। कंपनी ने हम 40–50 किसानों से पहले जमीन ली पर कम पैसा दिया, हमें अंतर की राशि दी जावे।

18 श्री जनकराम वर्मा, ग्राम रिसदा ने कहा कि हमसे कम कीमत में जमीन ली गई है। कंपनी ने कहा था कि, जमीन देने पर रोजगार दिया जावेगा। हमें न पैसा मिला, न ही रोजगार मिला और न ही हमारी जमीन बची। मेरी 1 एकड़ 16 डिसमिल जमीन 1.50 लाख रूपये में ली गई है।

19 श्री रामचन्द्र ध्रुव, ग्राम कुकुरदी ने कहा कि कुकुरदी के आदिवासी किसान, कृषि नहीं कर पा रहे हैं, हम आदिवासी किसान तीन साल से किसानी नहीं कर पा रहे हैं, एडीएम को 12 बार आवेदन दे चुके हैं, कलेक्टर साहब को भी आवेदन दे चुके हैं, पर जमीन बेचने की मंजूरी नहीं मिल रही है। हमें मुआवजा नहीं मिला, पानी नहीं है। 3 साल का खेती का मुआवजा मिलना चाहिये।

20 श्री जीतेन्द्र जायसवाल, इलेक्ट्रिकल विभाग, ईमामी सीमेंट लिमिटेड, रिसदा ने कहा कि मैं ईमामी सीमेंट लिमिटेड के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में तीन साल से काम कर रहा हूँ, मुझे 20 वर्षों का अनुभव है, मुझे वेतन वृद्धि नहीं मिल रही है। प्लांट कार्यों से अनभिज्ञ रखा जा रहा है। प्लांट में कुछ एक्सीडेंड भी हो रहे हैं, स्थानीय लोगों को दुर्घटना आदि का मुआवजा नहीं मिला है। क्षेत्र के इलेक्ट्रिकल इंजिनियर लोगों का चयन नहीं हो पा रहा है। मैंने खुद अपने हाथों से बायो डाटा जमा करवाया है पर पता नहीं चल रहा है कि चयन कैसे हो रहे हैं। रोजगार के संबंध में लोकल पेपर में जानकारी नहीं दी जाती है।

21 श्री थानूराम वर्मा, ग्राम रिसदा ने कहा कि आज हमारा देश स्वतंत्र है, पर आदिवासी लोग स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि वे बिना मंजूरी अपनी जमीन नहीं बेच सकते, उनकी जमीन औने–पौने दाम पर बिकती है। इसमें प्राथमिकता देनी चाहिये, कलेक्टर महोदय को तुरंत मंजूरी देनी चाहिये। कहते हैं कि सबका विकास होगा, यह विकास नहीं विनाश है, कंपनी का एग्रीमेंट है कि, जमीन देने वाले को नौकरी देंगे या लाभांश देंगे। निवेदन है कि जिनकी जमीन गई है उनको नौकरी दें, ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। इससे मजदूरों का

शोषण हो रहा है। कंपनी मे काम कर रहे लोगों को सही वेतन दें। हमारी 20 एकड़ जमीन निकली है, जिसका 36 लाख रूपये मूल्य दिया गया है। 18 एकड़ जमीन सिंचित थी, 2 एकड़ भर्री जमीन थी, दो फसली जमीन थी।

अंत मे अपर कलेक्टर बलौदाबाजार श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने जन सुनवाई की कार्यवाही समाप्त घोषित की।

यह लोक सुनवाई प्रातः लगभग 11:55 बजे प्रारंभ होकर दोपहर लगभग 02:35 बजे संपन्न हुईं। लोक सुनवाई के दौरान कुल 41 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जो संलग्नक–1 अनुसार है। संपूर्ण लोक सुनवाई की विडियोग्राफी की गई।

(श्रीमती लीना कमलेश मंडावी)
अपर कलेक्टर
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)